एतिकाफ़ से संबंधित फत्वे

[*हिन्दी*]

فتاوى الاعتكاف

[اللغة الهندية]

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428-2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

एतिकाफ़ के अह्काम व मसाईल के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछे गये यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, आशा है कि यह फतावे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एतिकाफ़ का शुद्ध तरीका और उस से संबंधित अन्य अहकाम व मसाईल के जानने में लाभदायक सिद्ध होंगे। (अ.र.)

प्रश्न 1 : एतिकाफ़ का क्या हुक्म है? क्या एतिकाफ़ में बैठने वाले के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति और खाने पीने तथा इसी प्रकार दवा इलाज कराने के लिए निकलना वैद्ध है? एतिकाफ की सुन्नतें क्या हैं? तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित ऐतिकाफ़ की सहीह विधि क्या है?

उत्तर : अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आराधना और वन्दना के लिए एकान्त होने के लिए मस्जिद को लाज़िम पकड़ने को एतिकाफ कहते हैं। क़द्र की रात को तलाश करने के लिए एतिकाफ करना मसनून है, कुर्आन के अन्दर अल्लाह तआला ने इसकी ओर अपने इस फरमान के द्वारा संकेत किया है:

﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]

''और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो।''(सूरतुल बक्राः १८७)

सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में सिद्ध है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एतिकाफ़ किया और आप के साथ आपके सहाबा ने भी एतिकाफ़ किया, और एतिकाफ़ की मश्रूइयत (वैधता) बाक़ी रही है मनसूख नहीं हुई है, चुनांचे सहीहैन में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह कहती हैं:

''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के अन्तिम दस दिनों का एतिकाफ़ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आपको मृत्यु दे दी, फिर आपकी पत्नियों ने आपके बाद ऐतिकाफ़ किया''।

तथा सहीह मुस्लिम में अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के पहले दस दिनों का एतिकाफ़

किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ान के मध्य दस दिनों का एतिकाफ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

''मैं ने क़द्र वाली रात को ढूंढ़ने के लिए रमज़ान के पहले दहे का एतिकाफ किया, फिर मैं ने मध्य दहे का एतिकाफ किया, फिर मेरे पास जिब्रील आए और मुझ से कहा गया किः यह अन्तिम दहे में है, सो तुम में से जो व्यक्ति एतिकाफ करना चाहे वह एतिकाफ करे।''

चुनांचे लोगों ने आप के साथ एतिकाफ़ किया। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह कहते हैं: मैं किसी भी आलिम का इस बारे में मतभेद नहीं जानता हूँ कि एतिकाफ मस्नून है।

इस प्रकार एतिकाफ नस और इज्मिाअ के द्वारा मस्नून है।

एतिकाफ का स्थान वह मस्जिदें हैं जिस में जमाअत के साथ नमाज़ होती है चाहे वह किसी भी नगर में हो, इसलिए कि अल्लाह तआला का यह फरमान सामान्य है:

﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]

''और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो।''(सूरतुल बक्राः १८७)

श्रेष्ठ यह है कि एतिकाफ ऐसी मस्जिद में किया जाए जिस में जुमा की नमाज़ होती है ताकि उसके लिए बाहर निकलने की आवश्यकता न पड़े, यदि इसके अतिरिक्त मस्जिद में एतिकाफ़ करता है तो जुमा की नमाज़ के लिए जल्दी जाने में कोई बात नहीं है।

एतिकाफ करने वाले के लिए योग्य है कि वह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आराधना - अर्थात नमाज़, कुरआन का पाठ और अल्लाक के ज़िक्र - में व्यस्त रहे, इसलिए कि ऐतिकाफ का यही उद्देश्य है, तथा अपने साथियों से थोड़ी बात चीत करने में कोई हर्ज नहीं है, विशिष्ट रूप से जब उस में कोई लाभ हो।

एतिकाफ करने वाले पर सम्भोग और उस से पूर्व की कामुक और भोगेच्छिक चीज़ें निषिध (हराम) हैं।

एतिकाफ करने वाले के मस्जिद से बाहर निकलने की हालतों को फुक़हा (धर्म-शास्त्र के ज्ञानियों) ने तीन भागों में बांटा हैं :

पहला : **जाइज़**, किसी ऐसे चीज़ के लिए बाहर निकलना जो शरई (धामिर्क) या स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो, उदाहरणतः जुमा की नमाज़ के लिए निकलना, तथा खाने और पीने के लिए निकलना यदि कोई उसके पास खाना पानी लाने

वाला न हो, वाजिब वज़ू और स्नान के लिए, पेशाब और पाखाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर निकलना।

दूसरा : किसी ऐसी नेकी के काम के लिए निकलना जो उस पर वाजिब नहीं है जैसे कि बीमार की अयादत करना, जनाज़े में जाना, यदि उसने एतिकाफ के आरम्भ में इसकी शर्त लगाई थी तो जाइज़ है अन्यथा नहीं।

तीसरा : किसी ऐसी चीज़ के लिए निकलना जो एतिकाफ के विपरीत है जैसे कि क्रय-विक्रय के लिए, अपनी पत्नी से सम्भोग करने के लिए और इसी के समान अन्य चीज़ों के लिए निकलना, तो यह जाइज़ नहीं है चाहे उसकी शर्त लगाई हो या न लगाई हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है।

प्रश्न 2 : एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ गृह से कब निकले गा? क्या ईद की रात सूरज डूबने के पश्चात या ईद के दिन फज़्र के बाद?

उत्तर: एतिकाफ करने वाला अपने एतिकाफ से उस समय निकले गा जब रमज़ान समाप्त होजाए, और रमज़ान ईद की रात सूरज के डूबने के साथ समाप्त होजाता है, जिस प्रकार कि मोतकिफ बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने के साथ अपने एतिकाफ में प्रवेष करता है, क्योंकि रमज़ान का अन्तिम दहा बीस रमज़ान की रात को सूरज डूबने से आरम्भ होता है और ईद की रात सूरज डूबने के साथ समाप्त होजाता है।

प्रश्न 3 : क्या तीन मस्जिदों (मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा) के अतिरिक्त किसी अन्य मस्जिद में एतिकाफ जाइज़ है? इसकी दलील क्या है?

उत्तर : तीनों मस्जिदों - मस्जिदे हराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा- के अतिरिक्त अन्य मस्जिदों में भी एतिकाफ करना जाइज़ है, इसकी दलील अल्लाह तआला का यह आम (सामान्य) फरमान है:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]

"और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो।"(सूरतुल बक्राः १८७)

इस आयत में समस्त मुसलमानों को सम्बोधित किया गया है, यदि हम यह कहें कि इस से मुराद केवल तीन मस्जिदें हैं तो अधिकांश मुसलमान इस आयत के मुखातब नहीं होंगे, इसलिए कि अधिकांश मुसलमान मक्का, मदीना और अल-कुद्स के बाहर रहते हैं।

इस आधार पर हम कहें गेः समस्त मस्जिदों में एतिकाफ करना जाइज़ है, और यदि यह हदीस सहीह हो कि **"तीन मस्जिदों के अतिरिक्त में एतिकाफ नहीं है"** तो इस से मुराद सर्वश्रेष्ठ और अधिक सम्पूर्ण एतिकाफ है, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन तीन मस्जिदों में एतिकाफ करना दूसरी मस्जिदों में एतिकाफ

करने से अफज़ल है, जिस प्रकार कि तीनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना दूसरी मस्जिदों से श्रेष्ठ है।

मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ के बराबर है और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ना एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है और मस्जिदे अक्सा में नमाज़ पढ़ना पाँच सो नमाजों के बराबर है।

यह अज्र व सवाब उन नमाज़ों के लिए है जिनको मनुष्य मस्जिदों के अन्दर अदा करता है (अर्थात जो मस्जिद के साथ विशिष्ट है) जैसेकि फर्ज़ नमाज़ और कुसूफ की नमाज़ को जमाअत के साथ पढ़ना इसी प्रकार तहिय्यतुल मस्जिद। किन्तु मुअक्कदा सुन्नतें और अन्य नफ्ली नमाज़ें जो मस्जिद के साथ विशिष्ट नहीं हैं तो उनको घर के अन्दर पढ़ना श्रेष्ठ है, इसलिए हम मक्का के बारे में कहते हैं : आपका अपने घर में मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ना उन्हें मस्जिदे हराम में पढ़ने से श्रेष्ठ है। यही मामला मदीना का भी है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीने के अन्दर फरमाया:

((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة))

''मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ नमाज उसके घर के अन्दर पढ़ी जाने वाली नमाज़ है सिवाय फर्ज़ नमाज़ के।''

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नफ्ली नमाज़ें अपने घर में ही पढ़ा करते थे।

जहाँ तक तरावीह की नमाज़ का संबंध है तो यह उन नमाज़ों में से है जो मस्जिदों के अन्दर मश्रूअ् है, इसलिए कि उसके लिए जमाअत मश्रूअ है।

प्रश्न 4 : क्या रोज़ेदार के लिए मुसलमानो की आवश्यकताऐं पूरी करने के लिए टेलीफून से बात-चीत करना जाइज़ है?

उत्तर : मुसलमानों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एतिकाफ करने वाले के लिए टेलीफून से बात चीत करना जाइज़ है, इस शर्त के साथ कि वह टेलीफून उसी मस्जिद में हो जिसमें वह एतिकाफ किए हुए है, इसलिए कि ऐसी अवस्था में वह मस्जिद से बाहर नहीं निकला, किन्तु यदि वह मस्जिद के बाहर हो तो वह उसके लिए मस्जिद के बाहर नहीं निकले गा, रही बात मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो यदि वह व्यक्ति उससे संबंधित (ज़िम्मेदार) है तो वह एतिकाफ न करे ; इसलिए कि मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एतिकाफ से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसका लाभ सकर्मक और सामान्य है और जिस चीज़ का लाभ सकर्मक और सामान्य हो वह उस चीज़ से श्रेष्ठ है जिसका लाभ सीमित हो, सिवाय इसके कि सीमित लाभ वाली चीज़ इस्लाम के महत्व पूर्ण और अनिवार्य कामों में से हो।

प्रश्न 5 : जिस व्यक्ति को उसका बाप बिना किसी सन्तोष जनक कारण के एतिकाफ़ करने से रोक दे उसका क्या हुक्म है?

उत्तर : एतिकाफ सुन्नत है, और माता-पिता के साथ उपकार और भलाई करना वाजिब है, और सुन्नत के कारण वाजिब समाप्त नहीं होता है, मौलिक रूप से वह वाजिब के विरोध में नहीं आ सकता है, इसलिए कि वाजिब को उस पर प्राथमिकता प्राप्त है, अल्लाह तआला हदीस कुद्सी में फरमाता है:

"जो कुछ मैं ने बन्दे पर फर्ज़ क़रार दिया है उस से अधिक प्रिय किसी अन्य चीज़ के द्वारा मेरा बन्दा मेरी निकटता नहीं प्राप्त कर सकता"।

अतः यदि तेरे पिता तुझे एतिकाफ न करने का आदेश देते हैं और ऐसी चीज़ें ज़िक्र करते हैं जो इस बात का तकाज़ा करती हैं कि तो एतिकाफ न करे, इसलिए कि वह तेरे ज़रूरतमंद हैं, तो इसका पैमाना उनके ही पास है तेरे पास नहीं, इसलिए कि हो सकता है तेरा पैमाना असंतुलित और न्यायहीन हो; इसलिए कि तू एतिकाफ का इच्छुक है, सो तू उनके बतलाये हुए कारणों को उचित कारण नहीं समझता है और तेरे पिता उसे उचित कारण समझते हैं।

अतः मैं तुझे यह नसीहत करता हूँ कि तू एतिकाफ न कर, हाँ यदि तेरे पिता कहें कि तू एतिकाफ़ न कर और उसका कोई कारण उल्लेख न करें तो ऐसी स्थिति में उनकी आज्ञापालन तेरे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए कि तेरे लिए किसी ऐसी चीज़ में उनकी आज्ञापालन करना आवश्यक नहीं है जिसकी मुखालफत करने में उनका कोई हानि नहीं किन्तु उस में तेरा घाटा है।

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
*atazia75@gmail.com